चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 20.08.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 20.08.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में महिला थाना की पुलिस टीम द्वारा आपसी पारिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर परिवार में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया।

आवेदिका श्रीमती सुधा देवी पत्नी रामानुज यादव निवासी उसरी का पुरवा मजरा मकरी पहरा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट ने महिला थाना के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया कि उनके पति रामानुज द्वारा मारपीट तथा गाली गलौज करने के सम्बन्ध में महिला थाना में प्रार्थना पत्र दिया गया था। थानाध्यक्ष महिला थाना नीलम देवी एवं उनकी टीम द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें महिला थाने पर बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। पति-पत्नी आपसी सुलह होने पर दम्पत्ति जोड़े को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

समझौता कराने वाली टीमः-

1.थानाध्यक्ष महिला थाना नीलम देवी

2.महिला मुख्य आरक्षी लता त्रिपाठी

(4). उल्लेखनीय है कि दिनांक 17.09.2017 को वादिया मिथलेश देवी द्वारा थाना राजापुर पर सूचना दी कि सुबह करीब 06.00 बजे वह अपनी लड़की के साथ खेत में शौच क्रिया के लिये गयी थी, जब वह शौच क्रिया से अपने घर वापस आ रही थी तो रास्ते में अमर यादव खड़ा था। वादिया को देखकर अश्लील बाते करने लगा जिसका विरोध किया तो उक्त व्यक्ति द्वारा वादिया को गिराकर लात घूसों से मारने पीटने लगा व भद्दी-भद्दी गालियां देते हुये जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर धमकी देने लगा। अमर यादव आये दिन उसकी पुत्री को परेशान करता है और जान से मारने की धगकी देता है सूचना के आधार के आधार पर मु0अ0सं0 396/2017 धारा 354बी,323,504,506 भादवि0 व 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना से संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त अमर यादव के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।

अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध न्यायालय द्वारा अंतर्गत धारा 323,504,506 भादवि0 एवं धारा 3(2)5ए,3(1)ध एससी/एसटी एक्ट के अंतर्गत आरोप दिनांक 15.09.2018 को विरचित किया गया था। अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया तथा विचारण की मांग की थी। बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त को मनगढ़ंत कहानी बनाकर रंजिशन फंसाया गया है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। अभियोजन पक्ष की ओर से पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि जिससे अभियुक्त को आरोपित आरोप में दण्डित किया जा सके। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने की याचना की गयी है। वादिया द्वारा न्यायालय के समक्ष दिए गए बयानों,मिथ्या साक्ष्य और तमान स्वतंत्र गवाहों एवं सबूतों के अभाव में अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा 323,504,506 भादवि0 धारा3(2)5क, 3(1)ध एससी/एसटी एक्ट को अभियोजन पक्ष साबित नही कर सका है। अभियुक्त को आज दिनाँक 20.08.025 को माननीय न्यायालय, विशेष न्यायाधीश अनु० जाति एवं अनु०जनजाति जनपद चित्रकूट श्री राजमणि पाठक द्वारा दोषमुक्त किया जाता है और माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा निर्णीत दाण्डिक अपील क्रमांक 5184/2022 झब्बू दूबे उर्फ प्रदीप कुमार दूबे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य निर्णय दिनांक 28.02.2023 में पारित निर्णय के आलोक में यदि शिकायतकर्ती वादिया को प्रस्तुत प्रकरण में कोई अनुदान राशि प्राप्त हुई है तो जिला समाज कल्याण अधिकारी उपरोक्त अनुदान की धनराशि नियमानुसार वसूलकर राज्यकोष में जमा कराना सुनिश्चित करें। साथ ही वादिया मिथलेश देवी को द0प्र0सं0 1973 की धारा-344 के अन्तर्गत न्यायिक कार्यवाही में मिथ्या साक्ष्य देने के कारण विचारण हेतु वाद लिपिक पृथक से मामला दर्ज करने का फैसला सुनाया।